अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक–प्र०–6/विविध–164/2010– 4932 (E)w /पटना, दिनांक 1/9/17

प्रेषक,

लक्ष्मी नारायण दास,
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (रा०उ०प० उपभाग सहित)।
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित)।
पथ निर्माण विभाग
सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०प० प्रमंडल सहित)।
पथ निर्माण विभाग

विषय :– **अन्य विभागों के संवेदकों को कालीसूची में डाले जाने/मुक्त किये जाने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना द्वारा निम्न संवेदक से निबंधन को काली सूची में दर्ज किये जाने की सूचना दी गयी है, जो निम्न है :–

क्र० सं०	संवेदक का नाम/ निबंधन संख्या	विभाग का नाम	ज्ञापांक एवं दिनांक	अभियुक्ति
1.	श्री प्रमोद कुमार, ग्राम+पो0–कचहरिया, भाया–भत्तहर, जिला–नालंदा, पिन–801307 नि0 सं0–05/2016 प्रथम श्रेणी	जल संसाधन विभाग	ज्ञापांक–2876 दिनांक–26.07.2017 (छायाप्रति संलग्न)	संवेदक के निबंधन को 10 वर्षो के लिए काली सूची में डाला गया है।
2.	S.N. Bhobe Associate Pvt. Ltd., 62 Mahavir Centre, Sector-17, DBC Vashi, Navi Mumbai-400705	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	पत्रांक–1747, दिनांक–18.07.2017 (छायाप्रति संलग्न)	संवेदक के निबंधन को कालीकृत किया गया।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/- 31/8/17

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–प्र०–6/विविध–164/2010– 4932 (E)w /पटना, दिनांक 1/9/17

प्रतिलिपि :–अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण)/कार्यपालक अभियता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग को अनुलग्नक एवं CD सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु०:–यथोक्त।

ह0/- 31/8/17

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ह0/- 31/8/17

D:\NEHA SINHA\2012 KA NEW FOLDER\MANGAL\DRAFT\DEBAR MUKAT LETTER OTHER\DEBAR MUKAT LETTER.DOCX

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड

7, सरदार पटेल मार्ग, पटना-800015

ISO 9001 : 2008 CERTIFIED COMPANY
JAS-ANZ
Reg. No. RQ91/1819

Doc. No:- BRPNNL/ ....3७८......./.........1747......./........	Dt...18/7/17..	PAGE NO......./.......

सेवा में

अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग,

अभियंता प्रमुख भवन निर्माण विभाग,

अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग,

महानिदेशक (पथ), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय,

प्रबंध निदेशक / विभागाध्यक्ष

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार,

बिहार राज्य पुलिस भवन निर्माण निगम,

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम,

बिहार राज्य आवास बोर्ड,

बिहार अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लि०,

बिहार राज्य पथ विकास निगम लि०, पटना,

बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम

विषय- S.N. Bhobe Associate Pvt. Ltd., 62 Mahavir Centre, Sector-17, DBC Vashi, Navi Mumbai-400705 को कालीकृत किये जाने के संबंध में ।

महाशय

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि S.N. Bhobe Associate Pvt. Ltd., 62 Mahavir Centre, Sector-17, DBC Vashi, Navi Mumbai-400705 द्वारा संपादित निरूपण कार्यों में त्रुटि पाये जाने के कारण उन्हें बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० द्वारा कालीकृत कर दिया गया है ।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु समर्पित ।

विश्वासभाजन

18/7/17

प्रबंध निदेशक

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०

पटना ।

वितरण शाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

कम्प्यूटरीकृत आगत पंजीयन संख्या 122268

8329(..)
24/7/17

3047
26/7

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश सं0 :– 11/ विविध – 01–01/2017 2876 दिनांक 26.07.2017

आदेश

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना परिक्षेत्राधीन बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, एकंगरसराय के अन्तर्गत लोकायन नदी के बांया तट पर ग्राम – बाहापर, प्रखंड – करायपसुराय, के समीप टुटान स्थल पर मरम्मति का कार्य संवेदक श्री प्रमोद कुमार, ग्राम + पो0 – कचहरिया, जिला – नालन्दा को आवंटित किया गया है। उक्त कार्य में इनके द्वारा अभिरूचि नही लेते हुए कार्य को यथावत् स्थिति में छोड़कर संवेदक के चले जाने संबंधी सूचना मुख्य अभियंता के सचिव (प्रा0), बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक 2051 दिनांक 26.07.17 द्वारा दी गई।

उक्त सूचना के आधार पर मामले की समीक्षा की गई और समीक्षोपरान्त पाया गया कि संवेदक या उनके प्रतिनिधि कार्य स्थल से गायब हैं तथा मुख्य अभियंता स्वंय स्थल पर कैम्प कर रहे है। इससे यह सम्पुष्ट हो जाता है कि संवेदक कार्य के प्रति लापरवाह एवं उदासीन हैं। बाढ़ अवधि में संवेदक द्वारा इस कार्य में अभिरूचि नही लेना और कार्यस्थल को छोड़कर चलाजाना न केवल नियम विरूद्ध है बल्कि, संवेदक की अपराधिक प्रवृति को दर्शाता है। संवेदक के इस कृत्य से जान–माल के नुकसान की भी संभावना बनी हुई है।

संवेदक के कृत्य को बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली – 2007 के नियम 11(क)(ii) में प्रावधानित कदाचार की श्रेणी में प्रमाणित पाते हुए इनके निबंधन संख्या 05/2016 (प्रथम श्रेणी) को अगले 10 वर्षो के लिए काली सूची में डाला जाता है।

ह0/–
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांक.................................. दिनांक..

स्पीड पोस्ट/ निबंधित

प्रतिलिपिः– श्री प्रमोद कुमार, ग्राम + पो0 – कचहरिया, भाया – भत्तहर जिला – नालन्दा, पिन – 801307 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांक 2876 दिनांक 26.07.2017

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव/ सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/ पथ निर्माण विभाग, पटना/लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग, पटना/ भवन निर्माण विभाग, पटना/ लधु जल संसाधन विभाग, पटना/ ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/ सभी मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग/ अधीक्षण अभियंता बाढ़ नियंत्रण योजन एवं मो0 अंचल, पटना/अधीक्षण अभियंता योजना एवं मो0 अंचल 2 एवं 3 पटना/ निदेशक क्रय भंडार एवं सामाग्री प्रबंधन जल संसाधन विभाग बिहार, पटना/ आई.टी.मैनेजर को विभागीय, बेवसाईट पर डालने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

853